A3

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 78 / 2019 (अपील)
जीसीएमएस नं0–2019 / 00224

हसीना बानो पत्नि मन्सूर अली जाति मुसलमान निवासी ग्राम उम्मेंदगंज तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. नगर पालिका कैथून जर्ये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका केथून
2. चैरयरमेंन नगर पालिका कैथून

––रेस्पोडेन्टस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी आदेश दिनांक 19.08.2019 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा,

निर्णय

दिनांक– 08 / 09 / 2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील लाडपुरा जिला कोटा ने ग्राम उम्मेंदगंज कैथून में रास्ते के सम्बन्ध में दिनांक 19.08.2019 को निर्णय पारित किया है कि ''मौके पर कोई रास्ता विद्यमान हो ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत प्रार्थीया द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है । पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां जो पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसमें भी किसी प्रकार का कोई रास्ता राजस्व अभिलेख में अथवा मौके पर विद्यमान होने का हवालाना नहीं है । प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विरूद्व प्रतिपक्षीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।''

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2019 को पेश की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज कर दिया , जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम उम्मेंदगंज केथून में स्थित खसरा नम्बर 524 रकबा 0.41 हे0 की आराजी केथून के नदी के नजदीक स्थित है । जिस पर आने जाने का एक मात्र रास्ता नदी पर से होकर है । उक्त रास्ते के अलावा अपीलांट की आराजी पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है, उक्त तथ्य हल्का पटवारी की रिपोर्ट व फोटू आदि से साबित हो जाने के बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टा के मौजूदा रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है जिस पर रेस्पोडेन्ट ताकत के बल पर दीवार खींचकर रास्ता बन्द करने पर आमादा होने व रास्ते को बन्द करने हेतु दीवार बनाने की कोशिश करने पर अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रथम दृष्टया हल्का पटवारी की रिपोर्ट अपीलान्ट के पक्ष में होने के बावजूद भी अपीलान्ट का प्रार्थना

जिला कलेक्टर
कोटा

(A4)

पत्र खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर आदेश योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से एडवोकेट उपस्थित । उपस्थित अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि नगर पालिका कैथून द्वारा मुझ प्रार्थीया की ग्राम उम्मेंदगंज कैथून खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.41 हे0 पर आने जाने के रास्ते को बन्द कर दिया है । प्रार्थीया बरसों से इसी रास्ते नदी पर से होकर आते जाते थे, प्रार्थीया अपीलान्टा की उक्त भूमि पर आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.8.2019 निरस्त किया जाकर नगर पालिका द्वारा बन्द किये गये रास्ते को चालू कराने के आदेश फरमावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीया अपीलान्टा की भूमि ख0नं0 524 कैथून नदी के किनारे पर स्थित है आवागमन के लिए कोई पुल नहीं बना हुआ है ओर ना ही कोई आम रास्ता मौजूद था । मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में कोई आम रास्ता मौजूद नहीं है । प्रार्थीया अपीलान्ट द्वारा जिस दीवार का कथन किया गया है वह दीवार पूर्व से ही बनी हुई है जो क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसे दुरूस्त कर दिया गया है वहां पर कोई आम रास्ता नहीं है । अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 19.08.2019 के विरूद्व दिनांक 03.09.2019 को पेश की गई है, वकील अपीलान्ट द्वारा उनकी कृषि आराजी पर आने जाने के लिए जो रास्ता था उसे नगर पालिका द्वारा बन्द करने का कथन किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता मौजूद नहीं है ओर ना ही कोई नदी में पुल बना हुआ है, मात्र नदी में पाईपलाईन होने से उस पर आते जाते थे । नगर पालिका द्वारा नदी की सफाई करवाई जाने से पाईपलाईन वाला रास्ता बन्द होना जाहिर होता है । वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सकें कि वास्तव में नदी पर आम रास्ता था जिसे नगर पालिका द्वारा बन्द कर दिया गया है । मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में रास्ता नहीं होने से तथा अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में ठोस आधार प्रस्तुत नहीं करने से हम यह अपील अस्वीकार योग्य पाते है ।

7. परिणमतः वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार करने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किये है जिससे अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.8.2019 में हस्तक्षेप किया जा सकें । अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा